राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

मै.टाटा डेवी लि. वगै. : बनाम : भारत संघ

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या: **851/2004**

अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : 26 अप्रेल, 2006

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री आर.के.जैन एवं उनके साथ श्री मनीष सिसोदिया,
प्रत्यर्थी- भारत संघ के अधिवक्ता श्री वी.के.माथुर।

यह धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की याचिका प्रार्थीगण द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.04 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है और यह इस्तदुआ की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.04 को अपास्त किया जावे और साथ ही दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या 5/2000, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर के न्यायालय में लम्बित है, उस तमाम प्रोसिडिंग्स को अपास्त किया जावे। याचिका पेश

होने पर एडमिशन के पूर्व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भी अवलोकनार्थ तलब किया गया। ग्रहणार्थ प्रक्रम पर ही दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एक इस्तगासा अधीक्षक अभियोजन (विधि), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्भाग, जोधपुर के कार्यरत अधिकारी श्री एस.एन.बी.शर्मा अधीक्षक के द्वारा अभियुक्तगण-प्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 9(i), 9(ii) एवं 9(i)(b), 9(i)(bb), 9(i)(bbb), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया। इस्तगासे के तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त संख्या 1 टाटा डेवी लि. कलकत्ता, जिसका वर्तमान नाम मै. टाटा कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स लि. है, भारी उद्योगों के लिए अनुबन्ध के आधार पर प्लाण्ट, मशीनरी एवं इनके भागों का निर्माण कर स्थापित करती है, जो केन्दीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 के मद संख्या 84 के उपमद संख्या 8474.00 में सिन्टर प्लाण्ट के भाग 8421.00 में गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग 8419.00 जिन्क रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग आदि के अन्तर्गत वर्गीकृत है। अभियुक्त कम्पनी के द्वारा निर्मित उक्त विभिन्न उत्पादों का उपमद 8474.00, 8421.00 व 8419.00 में वर्गीकरण के बारे में तथ्यात्मक विश्लेषण न्याय निर्णय आदेश संख्या 71 सी ई 1 जे पी 11/99 दिनांक 26.3.99 के पैरा 18 में किया गया, तद्नुसार कथित कम्पनी द्वारा निर्मित माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय होता है। ऐसी स्थिति में बिना शुल्क चुकाए माल की निकासी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त संख्या 2 डी.भट्टाचार्य, अभियुक्त संख्या 3 एस.डी.कोहली कम्पनी के ऑफिसर ऑन

स्पेशल ड्यूटी हैं, व इसी प्रकार अभियुक्त संख्या 4 निरूपम हलधर कम्पनी में उपाध्यक्ष एवं वित्तीय सलहाकार के पद पर तैनात हैं और कम्पनी के कार्य इनकी देखरेख व निर्देश पर होते हैं और कम्पनी द्वारा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रू.1,00,97,626/- की चोरी एवं कर अपवंचना हेतु संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। दिनांक 27.7.1993 को गुप्त सूचना के आधार पर कि "मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड कलकत्ता ने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरिया के लिए सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग तथा जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए कम्पनी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 174 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तथा बिना शुल्क चुकाए माल की आपूर्ति की जा रही है", इसके आधार पर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड स्वरूप सागर, उदयपुर एवं चन्देरिया स्थित लेंड जिंक स्मेल्टर कॉम्पलेक्स एवं परिसर में स्थित मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड के कार्यालयों पर तलाशी ली और तलाशी की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण अभिलेख अनुबन्ध एवं सम्बन्धित दस्तावेज बरामद किए। चन्देरिया स्थित लैंड जिंक स्मेल्टर परिसर के निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई अभियांत्रिक उपकरणों का निर्माण/उत्पादन मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था तथा प्लाण्टों की स्थापना की जा रही थी जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं चुकाया गया। इस्तगासा के पैरा 10 से लगायत 20 में अभिलेखों की जांच करने पर और विभिन्न टेलेक्स और पत्रों का हवाला देते हुए पैरा 21 में इसका सारांश देते हुए पाया गया कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड उसके सब-कांट्रेक्टरों ने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग तथा जिंक

रिफाईनरी प्लाण्ट व भागों का मौके पर निर्माण/संरचना उत्पादन किया जिसके उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया तथा रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए बिना मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरिया को सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट की कीमत 4,82,93,992/- एवं जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट कीमत 1,58,17,923/- मौके पर निर्माण कर आपूर्ति की जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,00,97,626/- देय बनता था, की चोरी व अपवंचना की एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई। तथा मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड, डी भट्टाचार्य, एस.डी.कोहली व एन.हलधर ने संयुक्त रूप से मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड एवं उनके सब-कांट्रेक्टरों के बीच हुए वैधानिक अनुबन्धों में जानबूझ कर एवं बदनीयती के इरादे से अनुबन्ध की भाषा एवं नामकरण को बदला गया एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नियमावली, 1944 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,00,97,626/- की अपवंचना की एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई। इस प्रकार अभियुक्त संख्या 1 से 4 के द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 सपठित नियमावली, 1944 के नियम 174, 9(1), 52 ए, 53, 173 सी, 173 एफ, 173 जी, 226 एवं 173 क्यू का उल्लंघन किया है अत: अभियुक्तगण का यह कृत्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9(1), 9(1)बी, 9 (1) बी बी एवं 9(1) बी बी बी एवं 9(ए ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। साथ में सूची गवाहान पेश हुई एवं सूची दस्तावेज भी पेश की गई।

इस्तगासा पेश होने पर योग्य अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

दिनांक 15.9.2000 को अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर बहस चार्ज के पूर्व साक्ष्य के लिए पत्रावली रखी गई और दो गवाहों के बयान भी चार्ज के पूर्व रेकर्ड किए गए, मगर वे अधूरे रहे। जिरह रिजर्व रखी हुई है। इस दौरान अभियुक्तगण की ओर से 13.1.04 को प्रार्थना-पत्र पेश हुआ कि उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे, जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 20.7.04 के आदेश से योग्य अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना-पत्र खारिज किया, जिसके विरूद्ध यह धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की याचिका प्रस्तुत हुई है, जिसमें उपरोक्त आदेश के साथ-साथ तमाम प्रोसिडिंग्स को अपास्त करने की इस्तदुआ की।

इस प्रकरण में बहस पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

प्रार्थीगण की ओर से योग्य वरिष्ठ अभिभाषक की मुख्य बहस यह रही कि कम्पनी द्वारा जो भी उत्पादन इस्तगासा में लिखे हुए प्लाण्ट में किया जाना बताया गया है वह मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., चन्देरिया के मौके पर ही किया गया और जो भी कार्य किया गया है वह आयरन एण्ड स्टील, जो कि शेड्यूल हेड 73.08 की श्रेणी में आता है और इसके लिए उन्होंने अधिसूचना संख्या 61/90- सेण्ट्रल एक्साईज, दिनांक 20.3.1990 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस में यह भी जाहिर किया कि 30.10.1995 को कारण बताओ नोटिस कम्पनी को जारी किया गया था और 1,00,97,626/- की एक्साईज ड्यूटी की कम्पनी से मांग की गई थी जिसमें यह जाहिर किया गया था कि जो मौके पर माल

बनाया गया है वह हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के चन्देरिया, चित्तौडगढ में बनाया गया है और जो 8474.00, 8421.00 व 8419.00 की श्रेणी में आता है। नोटिस में यह भी जाहिर किया गया कि यह साईट पर जो भी माल का उत्पादन किया गया है वह उत्पाद शुल्क देय माल है और बिना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा कि उसकी निकासी की गई है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी व अपवंचना करना पाया गया। कम्पनी द्वारा विस्तृत में जवाब दिया और स्पष्ट रूप से बताया कि जो मौके पर कार्य किया गया वह अधिसूचना नम्बर 0.61/90, सेण्ट्रल एक्साईज, दिनांक 20.3.1990 से मुक्त है, जुबानी बहस एवं लिखित बहस में बताया गया है। दिनांक 22/23.1.1998 के आदेश द्वारा कमीश्नर, सेण्ट्रल एक्साईज, जयपुर ने 1,00,97,626/- की मांग को पुष्ट किया एवं 50,00,000/- की पेनल्टी लगाई गई। दिनांक 9.2.1998 को कम्पनी को कमजोर (Sick) कम्पनी घोषित किया गया और कम्पनी द्वारा कमीश्नर, सेण्ट्रल एक्साईज, जयपुर के आदेश दिनांक 22/23.1.1998 के आदेश की अपील कस्टम्स, एक्साईज एण्ड गोल्ड (कण्ट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल (जिसे आगे सीगेट से सम्बोधित किया जाएगा) के समक्ष पेश की गई। दिनांक 15.7.1998 को सीगेट ने आदेश दिनांक 22/23.1.1998 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुन: कमीश्नर के पास प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कमीश्नर के आदेश में प्रत्येक आईटम का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है, अत: गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा सकता। दिनांक 26/30.3.1999 को कमीश्नर, सेण्ट्रल एक्साईज, जयपुर द्वारा पुन: उक्त डिमाण्ट को पुष्ट किया और सीगेट के जो निर्देश थे उसकी पालना नहीं की। इसके बाद योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क रहा कि 20.7.1999 को

कम्पनी द्वारा पुन: सीगेट में अपील पेश की गई और ड्यूटी व पेनल्टी को वेव करने का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया जो सीगेट द्वारा स्वीकार किया गया और शुल्क व पेनल्टी के बारे में स्थगन भी दिया गया। सीगेट द्वारा जारी स्थगन के आदेश के दौरान यह इस्तगासा पेश किया गया और उसमें प्रसंज्ञान लिया गया। उनका तर्क है कि दिनांक 26.3.1999 के आदेश के अनुसार वसूली को जब स्थगित कर दिया गया था, अत: इस्तगासा पेश करना और प्रसंज्ञान लेने का आदेश अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क रहा कि 12.2.02 को सीगेट द्वारा 30.3.1999 के आदेश को पुन: अपास्त कर दिया गया और पुन: प्रकरण कमीश्नर के पास प्रतिप्रेषित किया गया कि पुन: सुनकर स्पीकिंग आदेश नियमानुसार पुन: पारित करे। तत्पश्चात् कमीश्नर के द्वारा पुन: आदेश पारित किया है, मगर उनका तर्क है कि कम्पनी उसके बाद लिक्वीडेशन में चली गई और ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने कम्पनी के कार्यो को अगस्त, 2003 में अपने पास ले लिया। इस प्रकार 7.5.03 के आदेश द्वारा कमीश्नर के द्वारा पुन: आदेश को पुष्ट किया और चूंकि ऑफिशियल लिक्वीडेटर नियुक्त हो चुका है, प्रार्थीगण को 7.5.03 के आदेश की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कम्पनी बन्द पड़ी है। इस प्रकार जब कोई कर जमा कराना सम्भव नहीं है न आगे कोई कार्यवाही ही करना सम्भव है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से योग्य वरिष्ठ अभिभाषक की बहस रही कि 15.9.2000 को यह इस्तगासा पेश किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि एक्साईज कमीश्नर के आदेश दिनांक 26.3.1999 के अनुसार उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया है, मगर उपरोक्त आदेश को सीगेट द्वारा 20.7.1999 को स्थगित कर दिया था, जो इस्तगासा

पेश होने से पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था। इस प्रकार कोई भी वसूली का आदेश कायम नहीं था। इस प्रकार जो प्रसंज्ञान लिया गया है वह उचित नहीं है। तत्पश्चात् कमीश्नर के आदेश को सीगेट द्वारा 12.2.02 को अपास्त भी कर दिया गया है और पुन: प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। इस प्रकार कम्पनी सद्भाविक रूप से अपने प्रकरण को सीगेट के सामने लड़ रही थी और अधिसूचना नम्बर 0.61/90 – सेण्ट्रल एक्साईज, दिनांक 20.3.1990 के तहत उन्हें छूट प्राप्त है क्योंकि मौके पर ही माल को फ्रेब्रीकेशन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने तर्क में यह भी जाहिर किया कि जो भी एक्साईज ड्यूटी थी वह हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को ही दी जानी थी। इस प्रकार कम्पनी व कम्पनी के अधिकारियों द्वारा सद्भाविक रूप से कार्य किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में जो भी उपधारणा है, उसका प्रार्थीगण द्वारा बचाव कर दिया है और अभियुक्तगण का किसी प्रकार का अपराध करने की कोई नीयत नहीं थी, वे सद्भाविक रूप से व उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार छूट के लिए कार्यवाही कर रहे थे जिसके लिए सीगेट द्वारा बार-बार कमीश्नर के आदेश को निरस्त भी किया है और प्रकरण प्रतिप्रेषित भी किया है और अन्तिम रूप से जब निर्णय दिया गया, तब तक कम्पनी लिक्वीडेशन में जा चुकी थी, अत: अग्रिम कार्यवाही करने के लिए वह सक्षम भी नहीं रही। अपने तर्क समर्थन में सेण्ट्रल एक्साईज के विभिन्न शेड्यूल की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया और 2003 (157) ई.एल.टी. 422 (विक्रम सुपर सीमेण्ट बनाम कमीश्नर, सेण्ट्रल एक्साईज, इन्दौर), 2003 (4) सुप्रीम कोर्ट केसेज 675 (बी.एस.जोशी वगै. बनाम हरियाणा राज्य व अन्य) पर आए विनिश्चय पेश किए और तर्क किया कि अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश दिनांक 20.7.04 को अपास्त किया जावे और अभियुक्तगण के विरूद्ध जो भी प्रसंज्ञान लिया गया है एवं प्रोसिडिंग्स को निरस्त की जावे। अभियुक्तगण द्वारा सद्भाविक रूप से ही जो अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई है, के तहत कार्यवाही की जा रही थी और कमीश्नर के आदेश को सीगेट में चुनौती भी दी गई और स्थगन आदेश भी प्राप्त किया गया और इस स्थगन के दौरान जो कार्यवाही की गई है और जो प्रसंज्ञान लिया गया है वह अपास्त किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रत्यर्थी - भारत संघ की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि आपराधिक कार्यवाही और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली और मांग आदि की कार्यवाही भिन्न-भिन्न कार्यवाहियां हैं। धारा 9 के तहत कर की अपवंचना की कार्यवाही आती है, जबकि जो भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय है उसके सम्बन्ध में कमीश्नर को डिमाण्ड नोटिस जारी करने का और सुनकर आदेश देने का अधिकार है। कमीश्नर के द्वारा स्पष्ट रूप से कर अपवंचना नोटिस देकर कर बकाया होना पाया, जिसकी अपील सीगेट में करने पर मात्र स्थगन दिया गया था, अन्तिम रूप से जो 7.5.03 को जो निर्णय हुआ है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें 1,00,97,626/- की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की जो मांग की गई थी उसकी पुष्टि की गई और पैनल्टी भी जो लगाई गई है उसकी भी पुष्टि की गई है। इस प्रकार से अन्तिम रूप से जो आदेश दिया गया है उससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा कर की अपवंचना की गई और इस्तगासा पेश करने के दौरान किसी प्रकार का कोई स्थगन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपराध किया गया है वह स्थगन के दौरान नहीं

किया गया बल्कि इस्तगासा के पैरा 5-ब में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि अभियुक्त मैसर्स टाटा डेवी लि. स्वयं एक कम्पनी है जो भारी उद्योगों के लिए अनुबन्ध के आधार पर प्लाण्ट, मशीनरी एवं इनके भागों का निर्माण कर एवं स्थापित करती है, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 के मद संख्या 84 के उपमद संख्या 8474.00 में सिन्टर प्लाण्ट के भाग, 8421.00 में गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग, 8419.00 जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग आदि के बारे में तथ्यात्मक विश्लेषण 26.3.1999 के आदेश के पैरा 18 में किया गया और कम्पनी द्वारा निर्मित माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय होना पाया गया और बिना शुल्क चुकाए माल की निकासी की गई है वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत अपराध है। उनका तर्क है कि 26.3.1999 को जो आदेश दिया गया था, यह आदेश हालांकि बीच में स्थगित किया गया मगर अन्तिम रूप से यह आदेश पुष्ट हुआ है और चूंकि आदेश अन्तिम रूप से पुष्ट हुआ है इसलिए इस आधार पर यह कार्यवाही अपास्त नहीं की जा सकती कि 20.7.1999 को उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया था। इस्तगासा इस प्रकरण में 15.9.2000 को प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं और विशेष तौर पर धारा 9, 11 ए, 34 ए एवं 35 एफ की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि विभागीय कार्यवाही के तहत कोई भी सम्पति राज्यासात की जाती है या किसी प्रकार की पैनल्टी लगाई जाती है, वह इस आपराधिक प्रकरण में अतिरिक्त कार्यवाही है। इस प्रकार उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कार्यवाही ड्रोप नहीं करने के जो आधार लिखे हैं उसमें हस्तक्षेप के आधार नहीं है, अन्तिम रूप से निर्णय

अभियुक्तगण के विरूद्ध कमीश्नर द्वारा किया गया है, अत: पूर्व के तमाम आदेश इसमें समाहित हो चुके हैं,अत: मात्र बीच में स्थगन आदेश होने से इस्तगासा पेश करने या प्रसंज्ञान लेने के आदेश को गलत नहीं माना जा सकता। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां असाधारण परिस्थितियों में ही काम में ली जा सकती है एवं जब तक रेकर्ड पर यह नहीं आवे कि न्यायिक प्रक्रिया का हनन हो रहा हो, फौजदारी प्रकरण में कार्यवाही अपास्त नहीं की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप के पूर्व साक्ष्य ले ली है। अत: यह याचिका खारिज करने की इस्तदुआ की।

मेरे द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया। इस न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दु उपरोक्त तर्को को देखते हुए निर्धारित करने हैं :

1. क्या दिनांक 30.10.1995 को जो शो कॉज नोटिस जारी किया और जो उत्पाद शुल्क बकाया होने की मांग की गई और जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा की गई, उसके बाद कम्पनी के द्वारा सीगेट में अपील की और सीगेट ने उक्त आदेश को निरस्त कर दिया और पुन: आयुक्त द्वारा उसी मांग की पुष्टि की गई, जिसकी पुन: अपील 20.7.1999 को पेश की गई और स्थगन का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया गया, जिसके द्वारा जो भी मांग की गई थी और पैनल्टी लगाई गई थी, उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी गई और जिस समय यह कार्यवाही स्थगित थी और अपील चल रही थी, यह इस्तगासा 14.9.2000 को पेश किया गया और प्रसंज्ञान लिया गया। इसका क्या प्रभाव है और क्या इस आधार पर यह फौजदारी कार्यवाही अपास्त की जा सकती है अथवा नहीं?

2. क्या अधिसूचना संख्या 0.61/90, सेण्ट्रल एक्साईज, दिनांक 20.3.1990 के अनुसार सेण्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के शेड्यूल के अनुसार हेडिंग नम्बर 73.08 में उक्त माल आता है, जो मोके पर ही निर्माण कार्य किया गया, अत: उत्पाद शुल्क से छूट मिली हुई थी और आयुक्त व सीगेट के समक्ष सद्भाविक रूप से विरोध कर रहे थे और क्या जो उपधारणा है उसका रिबटल कर दिया गया है और यह आपराधिक कार्यवाही उपरोक्त आधारों पर अपास्त किए जाने योग्य है?

जैसाकि इस्तगासे के विस्तृत तथ्य ऊपर लिखे गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, मात्र वे ही तथ्य उद्धृत करना चाहूंगा जिनके आधार पर विभाग द्वारा इस्तगासा पेश किया गया व अपराध के आधार बताए हैं। इस्तगासे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 27.7.1993 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, जयपुर के अधिकारियों ने एक गुप्त आसूचना के आधार पर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, स्वरूप सागर, उदयपुर एवं चन्देरिया स्थित लैंड जिंक स्मेल्टर काम्पलेक्स एवं परिसर में स्थित मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड के कार्यालयों की तलाशी ली एवं कई महत्वपूर्ण अभिलेख व दस्तावेज बरामद किए। चन्देरिया स्थित लेंड जिंक स्मेल्टर परिसर के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई अभियांत्रिक उपकरणों का निर्माण/उत्पादन मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था तथा प्लाण्टों की स्थापना की जा रही थी जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं चुकाया गया। 27.7.1993 व 28.7.1993 को पंचनामे बनाए गए, रेकर्ड कब्जे में लिया गया और रेकर्ड की जांच की गई और जांच करने पर यह पाया गया कि हिन्दुस्तान जिंक लि. ने अपने मांग पत्र दिनांक 30.11.1988 और

19.12.1988 के द्वारा मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड कलकत्ता को चन्देरिया स्थित लेंड जिंक स्मेल्टर काम्पलेक्स में सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट तथा जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट का निर्माण, स्थापना एवं संचालन का कार्य अनुबन्धों के द्वारा सुपुर्द किया था। दोनों मांग पत्र को विधिवत अलग-अलग अनुबन्धों की प्रक्रिया पूर्ण की हुई थी जिसमें आपूर्तित उपकरणों का वर्णन तथा कीमत दर्शाई हुई थी और कीमत दर्शाई हुई थी जिसमें मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार दर्शाई हुई कीमतों में उपकरणों पर लगने वाले कर एवं शुल्क भी शामील थे, जबकि इस तरह की कीमतों में शामील शुल्क का भुगतान राज्य कोष को नहीं कर रहे थे। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने टेलेक्स दिनांक 27.7.1990 द्वारा मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड को सूचित किया कि यदि अनुबन्धिक उपकरणों के मौके पर उत्पाद/निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई उत्पाद शुल्क योग्य उपकरण या मशीनरी का निर्माण/संरचना या उत्पाद होता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से रजिस्ट्रेशन ले ले एवं यदि उत्पाद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा कराना आवश्यक हुआ तो भुगतान की जिम्मेदारी मैसर्स टाटा डेवी की होगी। उसके बाद जो भी मौके पर निर्मित होने वाले और उत्पाद होने वाले उपकरणों की सूची थी वह भी 30.10.1990 द्वारा चन्देरिया स्थित साईट पर निर्मित एवं उत्पादित होने वाले उपकरणों की सूची सिद्धार्थ मित्रा द्वारा भेजी गई बताई गई है। इसी प्रकार एन.हलधर ने भी दिनांक 25.10.1990 को सिद्धार्थ मित्रा को सूचित किया कि हिन्दुस्तान जिंक लि. को साईट फेब्रिकेशन के बिल में से एक्साईज ड्यूटी के शीर्ष में कोई भी धन की

वसूली नहीं होनी चाहिए। एस.डी.कोहली ने भी गोपनीय पत्र दिनांक 30.10.1990 द्वारा उपाध्यक्ष (ऑपरेशन) मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड को सुझाव दिया कि सबसे पहले मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से मिले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कर सलाहकार से राय मांगनी चाहिए कि साईड पर निर्माण/उत्पादित उपकरणों की आपूर्ति में कर एवं ड्यूटी प्रभावित होगी। उसके बाद सिद्धार्थ मित्रा ने अपने पत्र दिनांक 4.12.1990 के द्वारा एन.हलधर एवं वित्तीय सलाहकार को सूचित किया कि आपूर्ति उपकरणों की अनुसूची में जो मूल्य दिया हुआ है उसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 15.5 प्रतिशत सम्मिलित है, यदि हम आपूर्ति उपकरणों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं देंगे, क्योंकि इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय नहीं है, मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को अधिकार है कि वह हमारे बिल में से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को कम कर दे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जो उपकरण साईट पर निर्मित होने है यदि उन्हें बाहर से खरीदा जाये तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देना होगा। यदि ऐसा है तो उपकरणों के निर्माण/उत्पादन की जगह को बदलने से भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार को नकार नहीं सकते हैं, विशेषतया जब हम स्टील की आपूर्ति एवं निर्माण दोनों कर रहे हों। इसी प्रकार डी.भट्टाचार्य ने भी 24.12.1990 को एन.हलधर को निर्देश दिए कि जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट के फरनेस से सम्बन्धित भागों का विवरण बिल में बदल दिया जाये एवं जिन सब कॉंट्रेक्टरों को साईट पर फेब्रिकेसन के आदेश दिए हैं उनकी भाषा बदल दी जाये एवं आदेश में लिखित उपकरणों के उत्पादन एवं आपूर्ति के स्थान पर स्टील के ढांचे की संरचना कर दिया जाए, जो कि पत्र के अनुसंलग्न-11 में दर्शाया गया है, इसके अनुसार सब-कॉंट्रेक्टरों को

आदेश की भाषा बदली गई। फिर डी.भट्टाचार्य के पत्र का हवाला भी इस्तगासे में आया है जो एस.डी.कोहली को लिखा कि "जैसाकि तुम जानते हो कि हमारे सलाहकार श्री महापात्रे के सुझाव के अनुसार हमने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं हमारे सब-कान्ट्रेक्टरों के साथ हुए अनुबन्ध में जानबूझ कर शब्दों को बदलने का निर्णय ले लिया है।" इस्तगासे में यह भी लिखा गया कि एस.डी.कोहली ने अपने पत्र दिनांक 19.3.1991 में डी.भट्टाचार्य को सूचित किया कि "हम जानकर प्रसन्न हैं कि हमने श्री एन.हलधर उपाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं सब कोन्ट्रेक्टरों के बीच हुए अनुबन्ध/बिल की अनुसूची में शब्दों को बदलने का होश-हवास में निर्णय ले लिया है।" इसी प्रकार इस्तगासे में समुन्द्रनाथ दास साईट लेखाकार के बयान भी जांच के दौरान धारा 14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत लिए गए थे जिसमें भी उसने माना कि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. चन्देरिया से सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट तथा जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट का निर्माण/सरंचना का कार्य अनुबन्ध पर मिला है एवं यह कार्य वे स्वयं एवं कुछ कार्य सब कान्ट्रेक्टरों से मौके पर ही करवाया है एवं फेब्रिकेशन के लिए कच्चा माल की आपूर्ति कम्पनी ने ही बिना मूल्य के आधार पर की है, कार्य करने का स्थान एवं सप्लाई मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने मुफ्त सप्लाई की है तथा सब कॉंट्रेक्टरों को भुगतान भी उनकी कम्पनी के आधार/साख पर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने ही किया है। इसी प्रकार एम.आर.श्री धरन नम्बूदरी, साईट इंजीनियर के बयान 27.7.1993 को व 28.7.1993 का भी हवाला इस्तगासे में दिया गया है कि उनकी कम्पनी एवं उनके सब

कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चन्देरिया के लिए सिन्टर एवं गैस क्लिनिंग प्लाण्ट तथा जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट का निर्माण/उत्पादन किया है तथा उन्होंने मौके पर बनाए गए उपकरणों एवं मशीनी पुर्जो की सूची बनाकर पेश की एवं उन्होंने बताया कि टी.वी.टावर एवं प्लाण्ट का ढांचा पहले जमीन पर बनाए एवं खड़ा करने के बाद मौके पर बेल्ड किया गया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर विभाग के द्वारा यह इस्तगासा पेश किया गया है जिसमें यह पाया गया कि मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड और उनके सब-कॉंट्रेक्टर ने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. के लिए सीन्टर एवं गैस क्लीनिंग तथा जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट का मौके पर निर्माण/सरंचना उत्पादन किया जिसके उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया, तथा बिना रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चन्देरिया को सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट कीमत रू.4,82,93,992/- एवं जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट कीमत रू.1,58,17,923/- मौके पर निर्माण कर आपूर्ति की जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रू. 1,00,97,626/- बनता था, की चोरी व अपवंचना की एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई।

उपरोक्त तथ्यों के साथ यह इस्तगासा अभियुक्तगण के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9(1), 9(1) बी, 9(1)बी बी, एवं 9(1) बी बी बी, एवं 9(ए ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत हुआ। इस्तगासा दिनांक 14.9.2000 को पेश होने पर प्रसंज्ञान लिया गया। इस प्रकार अपराध करने की तारीख 30.11.1988 एवं 19.12.1988 को जो अनुबन्ध हुए और उन

अनुबन्धों के बाद मौके पर कार्य किया गया, वर्ष 1990 से लगायत 1993 तक के कृत्यों का हवाला इस्तगासे में आया है और इस्तगासे अनुसार यह अपराध वर्ष 1988 से 1993 के बीच ही घटित हुआ है और धारा 9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत इस्तगासा प्रस्तुत हुआ है।

योग्य अभिभाषक याचीगण द्वारा जो विनिश्चय पेश किए गए हैं, उनका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। प्रथम विनिश्चय 2003 (157) ई एल टी 422 (विक्रम सुपर सीमेण्ट बनाम कमीश्नर ऑफ सेण्ट्रल एक्साईज, इन्दौर) का पेश किया है जो इस न्यायालय के लिए सिद्धान्त रूप में नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि यह न्यायाधिकरण का निर्णय है जो मात्र मार्गदर्शन के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस विनिश्चय में यह माना गया कि मौके पर यदि कोई भी ढांचा बनाया जाता है यदि उसको पुन: तोड़ा जावे तो मात्र वह बेकार माल या टुकडे होंगे और अन्य स्थान पर वह काम में भी किसी उपभोक्ता द्वारा नहीं लाए जा सकते और चूंकि यह पूर्ण रूप से जमीन पर लगे हुए भी हैं, अत: अचल सम्पति की परिभाषा में भी ऐसे ढांचे आ जाते हैं। इन सभी आधारों पर सीगेट ने यह निर्णय दिया कि उस पर उत्पादन शुल्क देय नहीं है। परन्तु उक्त विनिश्चय इस उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, मगर इस पर आगे विचार किया जाएगा।

इसी प्रकार योग्य अभिभाषक अभियुक्त-याचीगण द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय (2003) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 675 (बी.एस.जोशी वगै. बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा वगै.) वाले प्रकरण में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में विनिश्चय दिया गया है और इस प्रकरण में यही सिद्धान्त दिया गया है कि धारा 498-ए व 406 भा.दं.सं. के

जो अपराध हैं, काबिल राजीनामा के नहीं है, मगर ऐसे प्रकरण जहां राजीनामा नहीं हो सकता हो, धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां इस्तेमाल की जा सकती है और आपराधिक प्रकरण और प्रथम सूचना भी इस सम्बन्ध में अपास्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों में अजमानतीय अपराधों में कार्यवाही अपास्त की जा सकती है, सिद्धान्त दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी सिद्धान्त दिया है कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उस प्रकरण में पक्षकारों के बीच दोनों पक्षों की सहमति से तलाक हो चुका था और जो फौजदारी प्रकरण चल रहे थे उसे अपास्त करने के लिए दोनों पक्ष सहमत भी थे। सजा होने के कोई आधार भी नहीं थे। इन सभी आधारों को मानते हुए कार्यवाही अपास्त की गई थी। उक्त विनिश्चय का भी मेरे द्वारा आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। मगर यह प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें अपराध राजीनामा काबिल नहीं हो। यह राजीनामा काबिल अपराध है जो धारा 9 ए (2) सेण्ट्रल एक्साईज एक्ट के तहत राजीनामे काबिल अपराध है। इस प्रकार यह विनिश्चय पूर्ण रूप से इस प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इस विनिश्चय पर आगे विचार किया जाएगा।

प्रकरण में आगे विचार करने के पूर्व मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों को यहां उद्धृत करना उचित समझता हूं। धारा 9 [1] (ए) से लगायत [1] (डी) निम्न प्रकार है :

> **"9. Offences and penalties.-**(1) Whoever commits any of the following offences, namely :-
>
> [(a) contravenes any of the provisions of section 8

or of a rule made under clause (iii) or clause (xxvii) of sub-section (2) of section 37;]

(b) evades the payment of any duty payable under this Act;

[(bb)removes any excisable goods in contravention of any of the provisions of this Act or any rule made thereunder or in any way concerns himself with such removal;

(bbb) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, depositing, keeping, concealing, selling or purchasing, or in any other manner deals with any excisable goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation under this Act or any rule made thereunder;]

[(bbbb) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder in relation to credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products;]

(c) fails to supply any information which he is required by rules made under this Act to supply, or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information;

(d) attempts to commit, or abets the commission of ,any of the offences mentioned in clauses (a) and (b) of this section

[shall be punishable,-

(i) in the case of an offence relating to any excisable goods, the duty leviable thereon under this Act exceeds one lakh of rupees, with imprisonment for a term which may extend to seven years and with fine;

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court such imprisonment shall not be for a term of less than six months;

> (ii) in any other case, with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.]**"**

धारा 9-सी में आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

> **"[9C. Presumption of culpable mental state.-**(1) In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the Court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.]**"**

इस प्रकार धारा 9-सी में उपधारणा दी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई भी अभियोजन किसी अपराध का किया जाता है जिसमें आपराधिक नीयत किसी अभियुक्त की थी अथवा नहीं, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की आपराधिक नीयत थी, मगर अभियुक्त को अपने बचाव में यह प्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है कि उसकी ऐसी कोई अपराध करने की नीयत नहीं थी न उसकी मानसिक स्थिति अपराध करने की थी। आपराधिक मानसिक स्थिति को भी धारा 9 सी में आगे स्पष्टीकरण देकर परिभाषित किया गया है जिसमें आशय, हेतु, परिज्ञान व विश्वास के कारण आदि तथ्यों की जानकारी के आधार पर विश्वास होने के आधार या विश्वास होने या किसी तथ्य के बारे में परिज्ञान होना आशय या हेतु सभी को मानसिक आपराधिक स्थिति माना गया है।

धारा 34-ए निम्न प्रकार है :

> **"[34A.Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.-**No confiscation made or penalty imposed under the provisions of this Act or of any rule

made thereunder shall prevent the infliction of any other punishment to which the person affected thereby is liable under the provisions of this Act or under any other law.]

इसके अलावा विभागीय कार्यवाही में मांग की और वसूली की जो विभाग द्वारा की जाती है, उसके सम्बन्ध में धारा 11 से लगायत 11 (ए), 11 (डी)(डी) व धारा 12 में प्रावधान दिए गए हैं। अपील के प्रावधान चैप्टर 6-ए में दिया गया है और धारा 35-एफ के तहत कोई भी मांग या पैनल्टी विभाग के द्वारा या आयुक्त के द्वारा लगाई जाती है तो अपील लम्बित के दौरान यह राशि जमा करानी होगी, मगर अपील अधिकरण यदि चाहे तो उस राशि को जमा कराने को स्थगित कर सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों में अपील करने के पूर्व मांग, जो विभाग द्वारा की जाती है या जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा की जाती है या कोई पैनल्टी लगाई जाती है तो उसे जमा कराना अपील पेश करने के पहले की शर्त है और उसे स्थगित करने का अधिकार अपील न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में ही दिया गया है। इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को देखने से स्पष्ट है कि एक तरफ आपराधिक प्रकरणों के बारे में धारा 9 में दर्शाया गया है और धारा 9 सी में आपराधिक मानसिक स्थिति की भी उपधारणा दी गई है, धारा 34 (सी) में विभाग द्वारा लगाई गई पैनल्टी या मांग के अलावा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है, जिस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ धारा 11, 11-ए से लगायत आगे के प्रावधानों में जो भी केन्द्र उत्पाद शुल्क बकाया है उसकी मांग एवं वसूली, उसके अपील करने के अधिकार, अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार आदि की कार्यवाही इन आगे के प्रावधानों में दी गई है।

दाण्डिक प्रकरण में वाद-हेतु अपराध जब किया जावे जब पैदा होता है। इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति से स्पष्ट है कि अपराध जिस समय या जिस समय के दरम्यान किया जाएगा उन्हीं दरम्यान यह अपराध के सम्बन्ध में इस्तगासा करने का वाद-हेतु पैदा होता है और किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग या पैनल्टी लगाने की कार्यवाही विभाग की एक स्वतंत्र कार्यवाही है और यदि कोई व्यक्ति या कम्पनी में उत्पाद शुल्क देय है वह जान-बूझकर कर की अपवंचना करे या कर की चोरी करे तो उसके लिए आपराधिक प्रावधान बनाए गए हैं और कोई भी उत्पाद शुल्क वसूली में बकाया रहा है और जानबूझ कर अदा नहीं किया जा रहा है, उसकी वसूली की कार्यवाही धारा 11 व 11-ए के प्रावधान में की गई है, जो किसी भी व्यक्ति या कम्पनी को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर मांग जारी की जाती है और प्रक्रिया के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जाती है और अपील के अधिकार भी दिए गए हैं।

मेरे द्वारा प्रथम बिन्दु पर विचार किया गया। यह स्वीकार्य स्थिति है कि इस प्रकरण में विभाग द्वारा चेकिंग की गई और चेकिंग करने के बाद दिनांक 30.10.1995 को शो कॉज नोटिस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा याची कम्पनी को दिया गया कि उनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क माल का उत्पादन किया है और जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय है, कर की अपवंचना करने की नीयत से तथ्यों को छिपाकर रेकर्ड में हेरा फेरी की और शो कॉज नोटिस के जरिए कुल 1,00,97,626/- की, धारा 11-ए के तहत नोटिस दिया गया कि क्यों नहीं कम्पनी से वसूली की जावे। नोटिस का जवाब कम्पनी द्वारा दिया गया और उन्होंने अपने जवाब में अधिसूचना

संख्या 0.61/90, सेण्ट्रल एक्साईज एक्ट, दिनांक 20.3.1990 के तहत निर्माण कार्य मौके पर ही किया गया था और उपरोक्त अधिसूचना से उन्हें छूट मिली हुई है, जवाब दिया गया था। कमीश्नर द्वारा इस पर सुनवाई करने के बाद 22/23.1.1998 के आदेश से जो मांग शो कॉज नोटिस में की गई थी उसकी पुष्टि की गई थी, जिसकी अपील सीगेट, नई दिल्ली में पेश की गई और सीगेट द्वारा 22/23 जनवरी, 1998 का आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण पुन: प्रतिप्रेषित किया गया, जो आदेश 15.7.1998 का है, तत्पश्चात् पुन: कमीश्नर द्वारा 26/30.3.1999 को पुन: आदेश जो पूर्व में पारित किया गया था और जो मांग की गई थी उसकी पुष्टि की गई। इसकी पुन: अपील सीगेट में की गई। सीगेट द्वारा 20.7.1999 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

> "4. Heard both sides. In this case the matter was remanded to the Adjudicating Authority for de-novo adjudication to decide the correct classification and rate of duty. Prima facie, we find force in the arguments of Applicants that the Adjudicating Authority had not given any finding in respect of the plea that the goods were immovable property and hence not excisable. Further we find that the Applicants company is declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 by Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) vide order dated 9th February, 1988 and the Hon'ble Supreme Court, in their own reported in 1997 (94) ELT 477, held that the recovery and arrears of revenue due from sick industrial companies are not recoverable by coercive process without the consent of the Board of Industrial and Financial Reconstruction. In these circumstances, prima facie, we find the balance of convenience is in favour of the applicants. Therefore, the Application is allowed and the duty demand and penalty is waived for hearing of the appeal and recovery of the same stayed till the pendency of the Appeal. However, taking into consideration, the issue involved in this appeal we direct the Registry to fix the appeal for regular hearing on 28.10.99"

दिनांक 12.2.02 को सीगेट द्वारा उपरोक्त अपील स्वीकार की गई और प्रकरण पुन: रिमाण्ड किया गया और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि पुन: सकारण आदेश पारित किया जावे। योग्य अभिभाषक याचीगण का अधीनस्थ न्यायालय में एवं इस धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की याचिका में मुख्य एतराज यही रहा है कि सीगेट के समक्ष अपील लम्बित थी और सीगेट द्वारा स्थगन दिया गया था और आदेश दिनांक 26/30.3.1999 अपास्त भी किया जा चुका था, ऐसी परिस्थितियों में इस्तगासे पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता था और न ही फौजदारी कार्यवाही संस्थित की जा सकती थी।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि विभागीय मांग व वसूली की कार्यवाही व आपराधिक कार्यवाही के क्षेत्र अलग-अलग हैं एवं प्रकरण पुन: रिमाण्ड होने के बाद दिनांक 29.4.03 के आदेश से आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर द्वारा विस्तृत रूप से विचार करने के बाद आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने उस आदेश की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि जो आरम्भ में याचीगण से मांग की गई थी, उसकी पुष्टि की गई है और पैनल्टी की भी पुष्टि की गई है।

मेरे द्वारा उपरोक्त आदेशों का भी अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक याचीगण ने अपनी बहस के दौरान इस्तगासे के पैरा 5-ब की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बताया कि 26.3.1999 का जो आयुक्त का आदेश है उसको इस इस्तगासे में आधार बनाया गया है, चूंकि वह आदेश ही अपास्त किया जा चुका है और इस आदेश में स्थगन भी दिया गया था, अत: फौजदारी प्रकरण नहीं चल सकता। इस्तगासे के पैरा 5-

ब के पढ़ने से न्याय निर्णय आदेश 26.3.1999 के पैरा 18 में वर्गीकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विश्लेषण किए जाने का हवाला आया है, मगर इस्तगासे के पैरा 5-ब के पढ़ने से भी यह प्रतीत नहीं होता कि 26.3.1999 का आदेश ही मात्र इस्तगासे का आधार हो। इस्तगासा में अपराध करने के आधार पैरा 5 से 20 में आए हैं व पैरा 5-ब में यह बताया गया है कि अभियुक्त कम्पनी ने भारी उद्योगों में अनुबन्ध के आधार पर प्लाण्ट, मशीनरी व उसके भागों का निर्माण कर यह कम्पनी स्थापित करती है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 के मद संख्या 84 के उप मद संख्या 8474.00 में सिनटर प्लाण्ट के भाग, 8421.00 में गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग व 8419.00 जिन्क रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग आदि के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। अभियुक्त कम्पनी द्वारा निर्मित उक्त विभिन्न उत्पादों का उपमद 8474.00 , 8421.00 एवं 8419.00 में वर्गीकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विश्लेषण 26.3.1999 के आदेश में आया है, यह बताया गया।

दिनांक 26.3.1999 के आदेश की अपील सीगेट में की गई और 20.7.1999 को उपरोक्त आदेश पर स्थगन दिया गया और उसके बाद वह आदेश अपास्त भी कर दिया गया है।

इस प्रकार विभागीय मांग के मामलो में न्यायाधिकरण में जो अपील पेश की गई है उसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग और पैनल्टी लगाई गई है वह अपील सुनने के पूर्व चूंकि जमा कराना आवश्यक है, उसके जमा कराने से छूट दी गई है और अपील की सुनवाई की गई है और आदेश अपास्त किया गया। इसके बाद पुन: प्रकरण आयुक्त के पास प्रतिप्रेषित किया गया, जो पुन: सुनवाई करके अधिकरण द्वारा अपने पूर्व की मांग की

पुष्टि की गई है। इस आदेश दिनांक 29.4.03 की नकल इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके पैरा 29 में निम्न प्रकार से फाईडिंग दी गई है :

> "29. In view of above the parts and equipments on which duty has been demanded in the instant case are goods for the purpose of levy of Central Excise duty and accordingly liable to be classified under the heading in which that particular plant/machine falls. That being so the items mentioned at Sl. No.01 to 13 of the table given at para no. 22 above are classifiable under 8474.21, 14 to 17 under 8421.00 and 189 to 54 under Sub-heading No.8419.00 of Central Excise Tariff Act, 1985 being parts of Sinter Plants Gas Cleaning plat and Zinc Refinery Plant respectively. However the Oil Tanks having capacity exceeding 300 L are classifiable under 7309.00 of Central Excise Tariff Act, 1985 as the same are of the general use. Thus all the equipments and parts including Oil Tanks are liable to duty at the rate of 15% Adv. as BED + 5% SED on BED during the relevant period. Therefore, duty of Rs.1,00,97,626/- is liable to be recovered from M/s TDL under proviso to Section 11 A of Central Excise Act, 1944. Besides M/s TDL is also liable to penalty under erstwhile Rule 173Q of Central Excise Rules, 1944. However, I don't propose to impose penalty under Section 1 AC of Central Excise Act, 1944 as in the instant case, show cause notice had been issued before this Section came to effect. The goods manufactured by M/s TDL and used in the erection of the plant are also liable to be confiscated under provisions of erstwhile Rule 173Q as it has been established that these had been manufactured by M/s TDL without obtaining Central Excise Registration and the appropriate duty leviable on the said items had also not been discharged by them.

इस प्रकार 26/30.3.1999 के आदेश की अपील पेश किया जाना और 20.7.1999 को सीगेट द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाना, जो बताया गया है, यह वास्तव में जो स्थगन है वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या पैनल्टी अपील के पूर्व जमा कराने के सम्बन्ध में छूट प्रदान की गई है और बाद में यह आदेश अपास्त भी हुआ है और आदेश अपास्त होने के बाद पुन: आयुक्त द्वारा सुनकर उपरोक्त आदेश पारित कर दिया गया है और डिमाण्ड कायम

रखी गई है। अपील के सम्बन्ध में प्रावधान चैप्टर 6-ए में दिया गया है, उस प्रावधान को देखते हुए भी इस प्रकरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली और पैनल्टी के जमा कराने को वेव किया जाकर अपील की सुनवाई की गई थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने के पूर्व जो भी मांग की जाती है या पैनल्टी लगाई जाती है उसे जमा कराना आवश्यक है जब तक कि कोई न्यायाधिकरण उसे छूट प्रदान नहीं कर दे, जिसके सम्बन्ध में धारा 35-एफ में प्रावधान दिया गय है। केन्द्रीय अधिनियम, 1944 की धारा 35-एफ निम्न प्रकार है :

> **"[35F. Deposit, pending appeal, of duty demanded or penalty levied.-**Where in any appeal under this Chapter, the decision or order appealed against relates to any duty demanded in respect of goods which are not under the control of central excise authorities or any penalty levied under this Act, the person desirous of appealing against such decision or order shall, pending the appeal, deposit with the adjudicating authority the duty demanded or the penalty levied :
>
> Provided ...."

धारा 35-एफ के प्रावधानों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपील पेश करने के पूर्व यह वैधानिक कर्तव्य पक्षकार का है कि अपील के लम्बन के दौरान उपरोक्त राशि अपीलकर्ता को जमा करानी होगी और परन्तुक में अपील अधिकारी द्वारा अनावश्यक परेशानी किसी पक्ष को नहीं हो, विचार करने के बाद उपरोक्त राशि जमा कराने से छूट भी प्रदान की जा सकती है, प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार मात्र स्थगन होने या सीगेट के समक्ष अपील लम्बित रहने मात्र से या सीगेट द्वारा 26/30.3.1999 के आदेश को अपास्त किए जाने मात्र से इस्तगासा पेश करने पर विपरीत असर नहीं पड़ता। 26/30.3.1999 के आदेश का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया।

इस्तगासे में इसके पैरा नम्बर 18 में उत्पाद का वर्गीकरण के सम्बन्ध में हवाला मात्र आया है और 26.3.1999 के आदेश की अपील की गई थी जिस पर उपरोक्त स्थगन 20.7.1999 को उत्पाद शुल्क की वसूली एवं पैनल्टी की वसूली के सम्बन्ध में दिया गया, बताया गया है और इस आदेश को बाद में सीगेट द्वारा अपास्त भी करके पुन: प्रकरण को प्रतिप्रेषित भी किया है और इस प्रतिप्रेषण के बाद सुनवाई करके 20.4.03 को आयुक्त द्वारा मांग की पुन: पुष्टि कर दी गई, इसके बाद कोई अपील की गई हो, योग्य अभिभाषक याचीगण नहीं बता पाए हैं। उनका तर्क रहा कि उसके बाद कम्पनी 21.4.03 को कम्पनीज एक्ट, 1956 के तहत लिक्वीडेशन में चली गई और ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने कम्पनी के कार्यो को अगस्त, 2003 में अपने पास ले लिया। इस प्रकार कमीश्नर के उपरोक्त आदेश की उनके पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। अन्तिम आदेश जो कमीश्नर का दिनांक 20.4.03 का हुआ उसके विरूद्ध कोई अपील की गई या नहीं, या यह आदेश फाईनल हो चुका है, योग्य अभिभाषक याचीगण नहीं बता पाए हैं। उनका मात्र यही कथन रहा कि ऑफिशियल लिक्वीडेशन नियुक्त किया जा चुका है और उन्हें आदेश की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार मैं योग्य अभिभाषक याचीगण के प्रथम तर्क से सहमति नहीं रखता कि 26/30.3.1999 के आदेश को 12.2.02 के आदेश से अपास्त किए जाने से या 20.7.1999 को स्थगन दिए जाने से इस्तगासे की कार्यवाही अपास्त की जा सकती हो।

उपरोक्त बिन्दु को अब अन्य दृष्टिकोण से विचार करें तो जैसाकि उपरोक्त विस्तृत में विश्लेषण किया गया है, आपराधिक प्रकरणों का संस्थित होना धारा 9 केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत प्रावधान दिया गया है और

कोई भी व्यक्ति यदि आपराधिक कार्यवाही कर अपवंचना की करता है, जो धारा 9 [1] (ए) से लगायत [1](डी) तक सूची में अपराध दिए गए हैं, उनको दण्डनीय अपराध माना गया है। यह अपराध भी वाद-हेतु अपराध किए जाने की तारीख से पैदा होता है न कि विभाग द्वारा कोई भी कर की वसूली की कार्यवाही से। धारा 11 और 11(ए) उत्पाद शुल्क की वसूली, असेसमेण्ट, कोई बचा हुआ असेसमेण्ट या नया असेसमेण्ट आदि तमाम कार्यवाही कर की वसूली के सम्बन्ध में है। धारा 34-ए के प्रावधान भी स्पष्ट है कि आपराधिक कार्यवाही, राज्यसात अथवा पैनल्टी आदि की कार्यवाही के अतिरिक्त है। इस प्रकरण में जो भी शास्ति लगाई गई या कोई भी उत्पाद शुल्क बकाया होने की मांग की जाती है वह मात्र विभाग की वसूली की कार्यवाही है। उपरोक्त आदेश के तहत कर जमा नहीं कराने से अपराध का वाद-हेतु पैदा नहीं होता, बल्कि अपराध जिन वर्षो में उपरोक्त कर अपवंचना की गई तब से अपराध का वाद हेतु पैदा होता है। योग्य अभिभाषक याचीगण ने अधिसूचना दिनांक 20.3.1990 के तहत उनका माल सेण्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट के हैडिंग नम्बर 73.08 में आता है और उत्पाद शुल्क से उन्हें छूट मिली हुई है। जो मौके पर उन्होंने माल का उत्पादन किया है, सबसे अधिक बहस रहीं। इस सम्बन्ध में एक्साईज कमीश्नर द्वारा आदेश पारित किया गया है, सीगेट ने भी आदेश पारित किया और उसके बाद अन्तिम रूप से सुनवाई करने के बाद कमीश्नर द्वारा पुन: विस्तृत रूप से विचार कर 29.4.03 के आदेश से पुन: मांग की पुष्टि कर दी है। इस प्रकार पूर्व में जो भी आदेश पारित किया गया, उसके बाद अन्तिम रूप से आदेश रेकर्ड पर आ चुका है और जो याचीगण के विरूद्ध आदेश दिया गया और

मांग की पुष्टि यथावत रखी गई है और जो वर्गीकरण भी किए गए हैं, उसके सम्बन्ध में भी कमीश्नर द्वारा विस्तृत रूप से आदेश दिया जा चुका है। कमीश्नर ने अपने आदेश के पैरा 26 में अभियुक्तगण द्वारा चेप्टर 73.08 में उनका उत्पादन का कार्य आता हो, स्वीकार नहीं किया और उसके कारण भी लिखे हैं जिसके विरूद्ध कोई अपील की गई हो, यह भी नहीं बताया गया।

इस प्रकार यह सही है कि यह आदेश 26/30.3.1999, जो आयुक्त,सेण्ट्रल एक्साईज का आदेश था उस पर 20.7.1999 को जो मांग और शास्ति लगाई गई और अपील सुनवाई तक स्थगन दिया गया था और बाद में वह आदेश अपास्त भी हो गया और पुन: प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया और कमीश्नर द्वारा पुन: मांग की पुष्टि कर दी और अभियुक्तगण याचीगण के तर्को को स्वीकार नहीं किया। दिनांक 14.9.2000 को यह इस्तगासा पेश किया गया और प्रसंज्ञान भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.9.2000 को लिया गया। इस प्रकार मात्र सीगेट में अपील लम्बित रहने के दौरान या आयुक्त का आदेश अपास्त किए जाने के आधार पर फौजदारी अपराध में प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता हो, नहीं माना जा सकता। यह अलग बात है कि इस्तगासा पेश करने के बाद पक्षकार चाहते कि अन्तिम रूप से जब तक प्रकरण का निपटारा नहीं हो जावे, प्रकरण में आगे कार्यवाही स्थगित रखी जावे, इस्तदुआ कर सकते थे। मगर स्थगन की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय में भी नहीं की गई थी और जब यह आदेश 29.4.03 के आदेश से यह आदेश अन्तिम भी हो चुका है और उसके विरूद्ध कोई भी अपील पेश की गई हो, इस न्यायालय में नहीं बताया गया है। इस प्रकार 26/30.3.1999 का आदेश मात्र ही इस्तगासे का आधार नहीं है, इस्तगासे का

आधार इस्तगासे में जो तथ्य विस्तृत में लिखे गए हैं जो पैरा 5 अ से लगायत पेरा 20 तक विस्तृत आधार लिखे गए हैं (जिनका ऊपर विस्तृत में हवाला दिया गया है) एवं ये अपराध वर्ष 1988 में अनुबन्ध होने से वर्ष 1993 के मध्य में होने बताए गए हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ, 1985 के मद 84 के उपमद 8474.00, 8421.00 एवं 8419.00 जिसमें सिनटर प्लाण्ट के भाग, गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग एवं जिन्क रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग आदि का वर्गीकरण किया गया है और उसके बारे में तथ्यात्मक विश्लेषण 26.3.1999 के आदेश में भी किया गया था, जो बाद में अपास्त किया गया। मगर पुन: इन्हीं वर्गीकरणों बाबत अन्तिम आदेश जो आयुक्त ने दिया है उन्हीं वर्गीकरणों के तहत यह उत्पादन माना गया है, जो आदेश के पैरा नम्बर 29 से स्पष्ट है और पैरा 26 में भी अभियुक्तगण की ओर से जो बहस की गई थी, अधिसूचना दिनांक 20.3.1990 से या सेण्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के शेड्यूल के अनुसार हेडिंग नम्बर 73.08 में उनका माल आता हो और उन्हें छूट मिल गई हो, स्वीकार नहीं किया गया है। उसके आधार भी आदेश के पैरा 26 में लिखे गए हैं।

इस्तगासे के तथ्य जो ऊपर अवलोकित किए गए हैं, इस्तगासे के जो आधार बताए गए हैं, उसके सम्बन्ध में पैरा 5-अ से लगायत पैरा 20 में अंकित हैं जिन्हें ऊपर विस्तृत रूप में उद्धृत किया जा चुका है, जिसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपराध वर्ष 1988 से 1993 के मध्य करना बताया गया है।

इस प्रकार इस्तगासे के अवलोकन से अपराध जो घटित हुए हैं वह अनुबन्ध होने के बाद से वर्ष 1993 के मध्य घटित होना बताए गए हैं और

अपराध घटित होने का वाद-हेतु भी इस्तगासे में उन्हीं वर्षो का बताया गया है जो विभिन्न पत्रों के हवालों और बयानों के अवलोकन से आया है।

इस प्रकार मैं योग्य अभिभाषक याचीगण के प्रथम तर्क से कतई सहमति नहीं रखता कि मात्र आयुक्त द्वारा कर वसूली का मांग पत्र जो 26/30.3.1999 को जारी किया गया और उसकी अपील पेश हुई, जिसमें 20.7.1999 को उक्त मांग और पेनल्टी पर स्थगन दिया गया और बाद में वह आदेश अपास्त भी कर दिया गया और उस दोरान 14.9.2000 को यह इस्तगासा पेश हुआ है वह कानूनन उचित नहीं था, इससे मैं कतई सहमति नहीं रखता। इस्तगासा जो पेश हुआ है उसके आधार इस्तगासे में दिए गए हैं और वाद-हेतु भी इस्तगासे में दिया गया है। इस्तगासे के पैरा 5 ब में जो आधार आया है वह उत्पादन के विभिन्न उप मदों का विश्लेषण उपरोक्त मदों में आया है, मगर उपरोक्त आदेश की अपील लम्बित रहते हुए भी यदि इस्तगासा पेश हो जावे उससे फौजदारी प्रकरण की कार्यवाही अपास्त नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बाद यह आदेश अपास्त किया गया था और प्रकरण पुन: रिमाण्ट किया गया और रिमाण्ड के बाद पुन: मांग-पत्र की पुष्टि की गई, जो 29.4.03 का आदेश है और यह आदेश अन्तिम हो चुका है और इसकी कोई अपील की गई हो, इस न्यायालय को नहीं बताया गया है। उसके बाद कम्पनी लिक्वीडेशन में चली गई और ऑफिशियल लिक्वीडेटर भी नियुक्त कर दिया गया इसलिए अभियुक्तगण कोई कार्यवाही नहीं कर सके और न उत्पाद शुल्क या पैनल्टी जमा करा सकते, बहस की गई है, कि ऑफिशियल लिक्वीडेटर ही तमाम कार्यवाही कर सकता है। मगर ऑफिशियल लिक्वीडेटर बाद में नियुक्त होने से भी इस्तगासे पर कोई

विपरीत असर पड़ता है अथवा नहीं और फौजदारी कार्यवाही वाईंडिंग अप प्रोसेस आरम्भ होने के बाद चालू रखी जा सकती है अथवा नहीं, चूंकि यह बिन्दु मेरे समक्ष अभी विवाद में नहीं है इसलिए मैं इस पर कोई भी राय देना उचित नहीं समझता कि कम्पनी या उसके अधिकारियों, जिनके द्वारा अपराध किया गया है, के विरूद्ध कोई कार्यवाही लम्बित रह सकती है अथवा नहीं। इस प्रकार कम्पनी के लिक्वीडेशन में जाने या ऑफिशियल लिक्वीडेटर बाद में नियुक्त किए जाने से अब अभियुक्तगण कोई भी कार्य करने से सक्षम नहीं रहे हैं, न कर जमा कराने में सक्षम रहे हैं, यह भी आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इस फौजदारी प्रकरण की कार्यवाही अपास्त की जावे। इस सम्बन्ध में अभी अधीनस्थ न्यायालय में दो गवाहों के बयान लिए गए हैं, चार्ज की बहस भी होनी है। योग्य अभिभाषक अभियुक्तगण चाहे तो इस सम्बन्ध में जो बाद की घटनाएं हैं, के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तर्क उठा सकते हैं और वे चार्ज की स्टेज पर इस बिन्दु पर विचार करने को सक्षम रहेंगे, इसे नहीं नकारा जा सकता।

इस प्रकार प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से धारा 9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जो आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है, उसके आधार धारा 11 व 11(ए) के तहत दिए गए डिमाण्ड नोटिस से पैदा नहीं होते, बल्कि यह अपराध कारित होता है उत्पाद शुल्क की अपवंचना से या जानबूझ कर यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 9 में वर्णित अपराध किया जाता है उससे अपराध पैदा होता है। धारा 11 या 11 (ए) के प्रावधान या जो भी मांग या वसूली के प्रावधान हैं वे स्वतंत्र प्रावधान हैं जो विभागीय कार्यवाही में उत्पाद शुल्क या शास्ती आदि लगाकर वसूली के सम्बन्ध में दिए गए हैं और उसके सम्बन्ध में अपील के भी प्रावधान दिए गए हैं।

जहां तक दूसरे बिन्दु का प्रश्न है, योग्य अभिभाषक याचगण द्वारा जो बहस की गई और बाद में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है उसमें उनका मुख्य तर्क यही रहा कि अधिसूचना संख्या 0.61/91, दिनांक 20.3.1990 से उनका जो उत्पाद था, शीर्षक 73.08, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 की अनुसूची में दी गई है, यह पूरा ही उनका उत्पाद और उनका कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त था क्योंकि मौके पर यह निर्माण का कार्य किया गया था। योग्य अभिभाषक याचीगण ने अधिसूचना की नकल भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है और शीर्षक 73.08 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। इस आधार पर उनका तर्क रहा कि कम्पनी को सद्भाविक रूप से यह विश्वास था कि जो भी स्ट्रक्चर, आयरन व स्टील का मौके पर निर्माण किया गया है, शीर्षक 73.08 के तहत आता है और उत्पाद शुल्क इस पर देय नहीं है और यदि कोई देय भी था तो जो हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा देय था और इस सम्बन्ध में इस्तगासा के पैरा 12, 13, 15 व 21 (1) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद 30.101995 को शो कॉज नोटिस कम्पनी को दिया गया और 1,00,97,626 ./- का उत्पाद शुल्क देय होना मांगा गया जो जिंक रिफाईनरी, सिन्टर प्लाण्ट व गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग, जिन्क रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग के शीर्षक में मांगा गया जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 के मद संख्या 84 में आता है। नोटिस में यह भी बताया गया कि जो भी मौके पर माल का उत्पाद किया गया है उसमें उत्पाद शुल्क देय है और इन्हें बिना उत्पाद शुल्क चुकाए उसकी निकासी कर दी गई। इस शोक कोज नोटिस का विस्तृत जवाब भी दिया गया और उन्होंने पूर्व की अधिसूचना को ही अपना आधार बताया। आयुक्त,

सेण्ट्रल एक्साईज द्वारा 22/23.1.1998 को इस डिमाण्ड की पुष्टि की गई। उसके बाद 9.2.1998 को बीमार घोषित की गई और 22/23.1.1998 के आदेश की अपील भी सीगेट में की गई जो 15.7.1998 को उपरोक्त आदेश निरस्त हुआ और प्रकरण पुन: रिमाण्ड किया गया और आईटम के अनुसार सही वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया। फिर 26/30.3.1999 के आदेश से पुन: यह मांग की पुष्टि की गई जिसके सम्बन्ध में तर्क रहा कि सीगेट के आदेश की सही पालना नहीं की और उसके बाद, जैसाकि प्रथम बिन्दु में देखा गया है, 20.7.1999 को पुन: इसकी अपील पेश हुई और स्थगन दिया गया और उस दौरान यह इस्तगासा पेश किया गया। 12.2.02 को सीगेट द्वारा आदेश दिनांक 30.3.1999 अपास्त कर दिया गया और पुन: आदेश पारित करने का लिखा। 21.4.03 को ऑफिशियल लिक्वीडेटर नियुक्त हो गया और अगस्त, 2003 में ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने चार्ज ले लिया। 29.4.03-7.5.03 को आयुक्त, सेण्ट्रल एक्साईज द्वारा पुन: आदेश पारित किया और पूर्व की मांग की पुष्टि की है। चूंकि ऑफिशियल लिक्वीडेटर नियुक्त हो चुका है, अत: 29.4.03-7.5.03 के आदेश की जानकारी नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त तर्को के आधार पर योग्य वरिष्ठ अभिभाषक याचीगण की यह बहस रही कि जो भी अभियुक्तगण-याचीगण का कृत्य था वह सद्भाविक था और वे अधिसूचना के आधार पर सद्भाविक रूप से विश्वास करते थे कि मौके पर किए गए निर्माण कार्य पर कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं है और इस सम्बन्ध में सीगेट द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड भी किया गया और अन्त में 7.5.03 को पुन: आदेश की पुष्टि कर दी गई। इस प्रकार जो भी कृत्य किया गया था वह सद्भाविक था। हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा ही

यह उत्पाद शुल्क दिया जाना था, किसी प्रकार की उत्पाद शुल्क की चोरी नहीं हुई, काफी पुराना प्रकरण होना बताया और इन सभी आधार पर उनका तर्क रहा कि किसी प्रकार का कोई आपराधिक आशय की उपधारणा भी यदि है, जिसे कम्पनी द्वारा डिसचार्ज कर दिया गया है। चूंकि अभियोजन पक्ष प्रकरण को प्रमाणित नहीं कर पाएगा, इन आधार पर भी यह अभियोजन समाप्त करने की इस्तदुआ की और इस सम्बन्ध में (2003) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 675 (बी.एस.जोशी वगै. बनाम हरियाणा राज्य व अन्य) विनिश्चय पेश किया और साथ में कम्पनी पर लिक्वीडेटर नियुक्त हो जाने से और कम्पनी का चार्ज लिक्वीडेटर द्वारा लिए जाने से अब कोई भी कार्यवाही अभियुक्तगण-याचीगण करने को सक्षम नहीं हैं, अत: प्रकरण समाप्त करने की इस्तदुआ की है।

इसके जवाब में योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स ने बहस की कि वर्ष 1995 में शो कोज नोटिस जारी किया गया था और अभियुक्तगण का यह कृत्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ एक्ट, 1985 के मद संख्या 84 के उपमद संख्या 8474.00, 8421.00 एवं 8419.00 में आता है क्योंकि उनके द्वारा जो मौके पर संरचना की गई वे सीण्टर प्लाण्ट, गैस क्लीनिंग सेक्शन के भाग, जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग थे और बिना उत्पाद शुल्क चुकाए माल की निकासी की गई। उन्होंने इस्तगासे के पैरा 5-ए से लगायत 21 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि सीण्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट व जिन्क रिफाईनरी प्लाण्ट के भाग की मौके पर निर्माण व संरचना की है और उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त नहीं किया। बिना रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हिन्दुस्तान जिंक लि. को

सिन्टर एवं गैस क्लीनिंग प्लाण्ट कीमत रू. 4,82,93,992/- एवं जिंक रिफाईनरी प्लाण्ट कीमत रू. 1,58,17,923/- मौके पर निर्माण कर आपूर्ति की जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रू. 1,00,97,626/- देय बनता था, वह स्पष्ट रूप से बनना पाया गया है और जिसका अन्तिम रूप से निर्णय 20.4.03 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा किया जा चुका है। इसके बाद कोई भी अपील पेश नहीं की गई और यह आदेश अन्तिम हो चुका है।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस.जोशी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (उपरोक्त) विनिश्चय में जो सिद्धान्त दिया गया है वह धारा 482 व 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्याख्या करता है और धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उच्च न्यायालय की शक्तियों का क्या क्षेत्र है, के सम्बन्ध में भी व्याख्या करता है और पति पत्नी के व पारिवारिक झगड़ों के सम्बन्ध में न्यायालय के क्या कर्तव्य हैं, की व्याख्या की गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विनिश्चय में यह माना है कि जो अपराध राजीनामा काबिल नहीं हो, उनके लिए राजीनामे की इजाजत नहीं दी जा सकती और पैरा 5 व 6 में किन प्रकरणों में धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां इस्तेमाल की जा सकती है, हवाला दिया गया है। इस विनिश्चय में 1992 सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 426 (स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल) वाले विनिश्चय का भी हवाला आया है और उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, के सम्बन्ध में पैरा 5 व 6 में निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> ''5. After reproducing the seven categories of cases as given in para 102 of Bhajan Lal case the High Court has held that the parameters, principles and guidelines for quashing of complaints, first information report and criminal proceedings

have been settled in terms thereof and has concluded therefrom that the High Court has lost sight of the earlier part of para 102 which made it abundantly clear that the said categories of cases were being given by way of illustration. Neither were the categories of cases given exhaustive nor could it be so. Before giving those categories, it was said in Bhajan Ll case that: (SCC p.378, para 102)

"102. In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code which we have extracted and reproduced above, we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised either to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channalised and inflexible guidelines or rigid formulae and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised.

6. In Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate this Court with reference to Bhajan Lal case observed that the guidelines laid therein as to where the court will exercise jurisdiction under Section 482 of the Code could not be inflexible or laying rigid formulae to be followed by the courts. Exercise of such power would depend upon the facts and circumstances of each case but with the sole purpose to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. It is well settled that these powers have no limits. Of course, where there is more power, it becomes necessary to exercise utmost care and caution while invoking such powers.''

उक्त सिद्धान्तों के अलावा धारा 498-ए भा.दं.सं. के प्रकरणों में किन परिस्थितियों में कार्यवाही अपास्त की जाती है, भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धान्त दिया है, मगर इस प्रकरण के तथ्य और कानूनी स्थिति दोनों ही उक्त विनिश्चय के तथ्यों से भिन्न है, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण है, यह अपराध काबिल राजीनामा है और धारा 9-ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में स्पष्ट रूप से माना गया है कि कोई भी

अपराध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के इस चैप्टर में दिया गया है, चाहे इस्तगासा पेश होने के पहले के हों या बाद के हो, कोई भी अपराध किए जाते हैं, जो अभियुक्त द्वारा रकम का भुगतान करने के बाद प्रकरण में राजीनामा कर सकता है। अव्वल में यह अपराध कुछ शर्त के साथ काबिल राजीनामा बनाया गया है। उसके अलावा अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, सिद्धान्त दिया गया है।

योग्य अभिभाषक याचीगण ने जो सीगेट का विनिश्चय विक्रम सुपर सीमेण्ट बनाम कमीश्नर ऑफ सेण्ट्रल एक्साईज, इन्दौर (उपरोक्त) पेश किया है वह उच्च न्यायालय के लिए बंधित नहीं है, अत: उसे देखने की आवश्यकता नहीं रहती।

आपराधिक मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में ऊपर उद्धरण दिए गए हैं और धारा 9-सी से स्पष्ट है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा लेगा कि अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा थी और आपराधिक मानसिक दशा में आशय, हेतु किसी तथ्य का परिज्ञान विश्वास के कारण आदि दिए गए हैं और अभियुक्त के ऊपर यह भार रखा गया है कि उसकी इस तरह की कोई आपराधिक नीयत नहीं थी। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा न्यायालयों द्वारा दिए गए विनिश्चयों का भी अवलोकन किया गया।

1979 क्रिमिनल लॉ जरनरल 421 (केदार नाथ गोइंका बनाम सुपरींडेण्ट ऑफ सेण्ट्रल एक्साईज वगै.) विनिश्चय में पैरा 11 में निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> "The purport of S.9C(1) is to impute the requisite mens rea to a person who is being prosecuted under any of the provisions of the Act and the onus is on the accused to prove that he did not have the requisite mental state. It does not mean that if a person is not legally liable to prosecution under the Act and has been implicated as an accused S. 9C would be automatically attracted and the existence of mens rea presumed."

उपरोक्त विनिश्चय में यह स्पष्ट माना गया है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया हो उसके बाद ही यह उपधारणा लागू होती है और अभियुक्त के ऊपर ही यह प्रमाणित करने का भार बाद में आता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसका कोई आपराधिक आशय नहीं था।

इसी प्रकार 1995 (2) क्राइम्स 27 (मै. डी.एण्ड एच. सेक्रोन इलेक्ट्रोडस वगै. बनाम असिस्टेण्ट कलेक्टर, सेण्ट्रल एक्साईज डिविजन) वाले विनिश्चय में इस प्रकरण से बिलकुल विपरीत स्थिति थी। उस प्रकरण में धारा 9 के तहत अभियोजन किया गया था जिसमें कलेक्टर के द्वारा जो उत्पाद शुल्क लगाया गया था उसका विवेचन किया और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया गया। ऐसे प्रकरण में यह माना कि जहां मूल आधार ही इस्तगासे का समाप्त हो जावे, अभियोजन को निरस्त किया जा सकता है। मगर मेरे समक्ष जो प्रकरण है वह इसके विपरीत है। इस प्रकरण में 1995 में डिमाण्ड नोटिस दिया गया था जिस पर कमीश्नर द्वारा दो बार अपने आदेश की पुष्टि की और सीगेट द्वारा दो बार प्रकरण को रिमाण्ड किया है और अन्तिम तौर पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया होना एसेस किया गया है और मांग की पुष्टि की गई है वह आदेश 29.4.03 का है। यह प्रकरण ऐसा नहीं है कि जिसमें जो आरम्भिक शो कॉज नोटिस दिया गया था वह अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया गया हो। इस प्रकरण में

अभियुक्तगण द्वारा बार-बार सीगेट में अपील अवश्य की गई है और अधिसूचना के आधर पर छूट लेने का भी आधार रखा गया। मगर दिनांक 29.4.03 के निर्णय के पैरा 26 व 29 का अवलोकन, जैसाकि ऊपर किया गया है, याचीगण का केस स्वीकार्य नहीं माना गया।

इसी प्रकार 1989 (39) ई.एल.टी. 211 (देहली) (डंकन एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) विनिश्चय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरा 45 में निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "45. The proceedings for the recovery of duties and imposition of penalties taken under fiscal statutes are distinct, in our view, from the prosecutions in pursuance of criminal complaints. The two proceedings are different and independent. Simultaneous proceedings before the adjudicating authorities and also before a criminal Court for prosecution is not double jeopardy."

उपरोक्त विनिश्चय में यह भी माना गया है कि दोनों प्रकरण एक साथ चलने से संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं होता। उपरोक्त विनिश्चय से यह स्पष्ट बल मिलता है कि जो भी विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क की मांग की जाती है और वसूली की जाती है या कोई पैनल्टी लगाई जाती है, आपराधिक प्रकरण से वे कार्यवाहियां भिन्न हैं और दोनों स्वतंत्र कार्यवाहियां हैं और दोनों कार्यवाहियां स्वतंत्र रूप से चल सकती है और दोहरे परिसंकट का सिद्धान्त इसमें लागू नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 20(3) का भी उल्लंघन नहीं होता, उपरोक्त विनिश्चय में माना गया है।

योग्य अभिभाषकगण को अन्य विनिश्चय माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर दिए गए, मगर कोई भी विनिश्चय दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार इस स्टेज पर जब अन्तिम रूप से आयुक्त द्वारा 29.4.03 के

आदेश से मांग कीपुष्टि कर दी है और अभियुक्तगण का केस स्वीकार नहीं किया, इस स्टेज पर जो रेकर्ड प्रस्तुत हुआ है, अभियुक्तगण द्वारा धारा 9-ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की उपधारणा का बचाव कर दिया हो, यह सद्भाविक रूप से वे कार्य कर रहे हों, इस स्टेज पर नहीं माना जा सकता और आपराधिक प्रकरण में जहां दो गवाहों के बयान हो चुके हैं उनसे जिरह करके या अपने बचाव के दस्तावेज पेश करके उपधारणा का खण्डन कर सकते हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट के इस तर्क से मैं सहमति रखता हूं कि अन्तिम रूप से निर्णय 29.4.03 का सीगेट द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के बाद सुनवाई करके पारित किया जा चुका है और जो भी मांग उत्पाद शुल्क की बकाया थी उसकी पुष्टि की गई है और पैनल्टी की भी पुष्टि की गई है। आपराधिक प्रकरण की जो कार्यवाही है, उपरोक्त कार्यवाही से अतिरिक्त की जा सकती है, इसमें कोई कानूनी बन्धन नहीं है।

इस प्रकार अधिसूचना के आधार पर अभियुक्तगण का उपरोक्त उत्पाद शीर्षक 73.08 में आते हों और उत्पाद शुल्क देय हो, इसका निर्णय विभाग द्वारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है, जिसकी अपील की जाना रेकर्ड पर नहीं पाया जाता। अत: बिना बचाव की साक्ष्य दिए या साक्ष्य हुए यह न्यायालय इस स्टेज पर यह निर्णय नहीं कर सकता कि अभियुक्तगण ने जो भी कार्य किया सद्भावनापूर्ण किया और यह कार्यवाही इस आधार पर अपास्त कर दी जावे या साक्ष्य लेने के बाद ही आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का खण्डन किया जा सकता है।

योग्य वरिष्ठ अभिभाषक याचीगण का तर्क रहा कि उपरोक्त 29.4.03 के निर्णय के बाद वे कोई भी चाराजोई नहीं कर सकते हों क्योंकि यह कम्पनी

बीमार कम्पनी थी और उसके बाद ऑफिशियल लिक्वीडेटर भी 21.4.03 को नियुक्त कर दिया गया। वाईंडिंग अप प्रोसिडिंग भी कम्पनी अधिनियम के तहत चालू की जा चुकी है और अगस्त 2003 में ऑफिशियल लिक्वीडेटर ने इस कम्पनी का चार्ज भी ले लिया, इस आधार पर भी अब अभियुक्तगण-याचीगण कोई भी शुल्क जमा कराने की स्थिति में नहीं है और इस आधार पर कार्यवाही समाप्त करने की इस्तदुआ की।

मगर, जैसाकि प्रथम बिन्दु में इस बारे में विचार करते वक्त विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है, मैं कम्पनी अधिनियम के बारे में भी हवाला देना चाहूंगा कि जहां वाईंडिंग अप प्रोसिडिंग चालू हो जावे और ऑफिसिशल लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया जावे, उस सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की धारा 442 व 446 में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 442 व 446 के प्रावधानों को मैं यहां विस्तृत रूप से उल्लेख करना उचित नहीं समझता क्योंकि यह प्रश्न आज मेरे सामने विनिश्चय के लिए नहीं है, मगर वाईंडिंग अप की कार्यवाही होने के बाद और ऑफिशियल लिक्वीडेटर नियुक्त होने के बाद कोई भी वाद या कार्यवाही कम्पनी के विरूद्ध लम्बित है तो क्या कम्पनी उस कार्यवाही को स्थगित करवा सकती है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कम्पनी या उनके अधिकारीगण यदि चाहें तो सम्बन्धित न्यायालय या विभागों में उचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस न्यायालय को इस सम्बन्ध में कमेण्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती।

उपरोक्त तमाम विवेचन से, मैं योग्य वरिष्ठ अभिभाषक याचीगण के इन तर्को से सहमति नहीं रखता। ऑफिशियल लिक्वीडेटर या कम्पनी के वाईंडिंग अप हो जाने या आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकने और इस

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित फौजदारी प्रकरण को अपास्त कर दिया जावे, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही लिखना चाहूंगा कि अधीनस्थ न्यायालय में या सम्बन्धित विभाग में अभियुक्तगण-याचीगण चाहे और यदि उन्हें राय दी जाती है तो ऑफिशियल लिक्वीडेटर नियुक्त हो जाने से और वाईंडिंग-अप कार्यवाही होने से कोई फौजदारी प्रकरण चल सकता है अथवा नहीं, उचित प्रार्थना-पत्र पेश कर सकते हैं, जिसे सम्बन्धित न्यायालय या विभाग के अधिकारी ही सुनकर उचित आदेश पारित कर सकते हैं कि उत्पाद शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं।

उपरोक्त विवेचन से, उपरोक्त दोनों ही बिन्दु पर मैं योग्य वरिष्ठ अभिभाषक याचीगण के तर्को से सहमति नहीं रखता। योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो कार्यवाही ड्रोप करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.7.04 को खारिज किया, और जो आदेश पारित किया है, इसमें कोई हस्तक्षेप के आधार नहीं पाता। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय 2004 ए आई आर एस.सी.डब्ल्यू. 5174 (अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिन्दल वगै.) वाले प्रकरण में स्पष्ट सिद्धान्त दिया गया है, मगर न्यायालय द्वारा अपने प्रसंज्ञान के आदेश को रिव्यू नहीं किया है बल्कि जो कार्यवाही ड्रोप करने का प्रार्थना-पत्र, जो अभियुक्तगण द्वारा दिया गया था, उसे गुणावगुण पर सुनकर खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान इस्तगासा पेश होने के बाद दिनांक 15.9.2000 को लिया गया था और अभियुक्तगण को तलब किया गया था

और अभियुक्तगण के तलब होने के बाद यह कार्यवाही ड्रोप करने का प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ, जो दोनों पक्षों को सुनकर खारिज किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में चार्ज के पूर्व दो गवाहों पी.ङ 1 बी.के.मिश्रा व पी.ङ 2 सुरेश किशनानी के बयान कलमबन्द किए जा चुके हैं और उनसे जिरह अधूरी रही हुई है और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य होने के बाद ही आरोप की बहस होनी है। इस प्रकार अभियुक्तगण का कोई भी कृत्य सद्भाविक था अथवा नहीं और वे अधिसूचना संख्या 0.61/90 सेण्ट्रल एक्साईज, दिनांक 20.3.1990 के तहत छूट पाने के अधिकारी हैं अथवा नहीं, वे गवाहों से जिरह होने और अपनी साक्ष्य व जो भी बचाव के दस्तावेज पेश करते हैं उनसे ही वे यह प्रमाणित कर सकते हैं कि जो भी कार्य वो कर रहे थे सद्भाविक थाऔर कोई भी आपराधिक नीयत नहीं थी। इस प्रकार इस स्टेज पर, रेकर्ड के अवलोकन से जो धारा9-ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उपधारणा आपराधिक मानसिक स्थिति की है, बचाव नहीं माना जा सकता और साक्ष्य से ही यह तमाम प्रकरण अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

उपरोक्त तमाम विवेचन से, मैं योग्य वरिष्ठ अभिभाषक याचीगण द्वारा उठाए गए तर्को से सहमति नहीं रखता, इस याचिका में बल नहीं होने से यह याचिका खारिज की जाती है।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा